ISSN No. : 2394-0344 REMARKING : VOL-1 * ISSUE-7*December-2014

उच्च शिक्षा में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का योगदान

पुष्पा मीना
व्याख्याता ,
संस्कृत विभाग,
गौरी देवी राज0 महिला महाविद्यालय,
अलवर (राज0)

सारांश

प्राचीन काल में सर्वप्रथम केवल प्राथमिक शिक्षा की ही व्यवस्था थी किन्तु सामाजिक प्रगति के साथ–साथ शिक्षा के विषयों की संख्या में वृद्धि होती चली गई और उनके लिए पृथक शिक्षा संस्थाओं की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी। ईसा पूर्व पांचवी शताब्दी के आस–पास लगभग उच्च शिक्षा की व्यवस्था हो पाई जिसमें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार केवल ब्राह्मण, क्षत्रियों, वैश्वियों को था। साहित्य एवं धर्मशास्त्र के अध्ययन की अवधि 10 वर्ष और एक वेद के अध्ययन की अवधि 12 वर्ष थी। पाठ्यक्रम में परा (आध्यात्मिक) और अपैरा (लौकिक) दोनों को स्थान दिया गया था। पर विधा में वेद, वेदान्त, पुराण, दर्शन, उपनिषद् आदि तथा अपरा विधा में इतिहास, तर्कशास्त्र, भूगर्भ शास्त्र, भौतिक शास्त्र आदि विषय थे।

मुख्य शब्द : उच्च शिक्षा, विश्वविद्यालय, शिक्षा आयोग, छात्रों, विश्वविद्यालय, डॉ0 राधाकृष्णन।

प्रस्तावना

भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इस देश की शिक्षा को सुनियोजित और सुसंगठित करने के उद्देश्य से यह कार्य का प्रारम्भ विश्वविद्यालय शिक्षा से किया। भारतीय विश्वविद्यालयों में अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही थी किन्तु शिक्षा का स्तर निम्न होने के कारण देशवासियों में असंतोष था। भारत की नवीन सामाजिक और राजनैतिक परिस्थितियों के अनुसार देश की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में यह विश्वविद्यालय असमर्थ थे। अतः भारत सरकार ने उच्च शिक्षा के पुनःगठन की आवश्यकता का अनुभव किया। अतः विश्वविद्यालय शिक्षा परिषद् और केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने भारत सरकार के समक्ष एक अखिल भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग नियुक्त करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया क्योंकि परिवर्तनशील संसार में शिक्षा के उद्देश्य भी समय व आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तित होते रहने चाहिए। भारत सरकार ने इस प्रस्ताव को मान्यता प्रदान करके 04 नवम्बर 1948 को "विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग" की नियुक्ति की जिसके अध्यक्ष डॉ0 सर्वपल्ली राधाकृष्णन् थे। इस आयोग द्वारा उच्च शिक्षा से सम्बन्धित सभी पक्ष जैसे– उच्च शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षक वर्ग, अनुसंधान, परीक्षाएँ, शिक्षा का माध्यम व भाषानीति, धार्मिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, कृषि, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी तथा चिकित्सा आदि गहनीय तत्वों पर विशेष रूप से प्रकाश डाला जिससे यह उच्च शिक्षा में अत्यधिक योगदान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। इसी उद्देश्यार्थ उच्च शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यह स्वीकार किया गया " To report on Indian University Education & Suggest improvement extension that may be desirable to suit present future requirement of the country."(According to the report of University Education Commission, P.1) आयोग के जॉच के लगभग 20 विषय थे जिनमें से मुख्य थे– विश्वविद्यालय शिक्षा एवं अनुसंधान कार्य के उद्देश्य, विश्वविद्यालय के संगठन, नियंत्रण, कार्यक्षेत्र एवं विधान के संबंध में आवश्यक परिवर्तन, विश्वविद्यालय एवं कॉलेज में शिक्षा एवं परीक्षा के उन्नयन, विश्वविद्यालय शिक्षा की अवधि, माध्यम एवं पाठ्यक्रम, धार्मिक शिक्षा, अधिक विश्वविद्यालय की स्थापना, अध्यापकों की योग्यताएँ, सेवादनाएँ, वेतन, कार्यएवं अधिकार नवीन विश्वविद्यालयों की स्थापना की आवश्यकता, छात्रों में अनुसाशन, छात्रावास, उपकक्षा कार्य (Tutorial Work). पुस्तकालय आदि का संयोजन तथा विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु मानक एवं वित्तीय समस्याएं।

डॉ0 सर्वपल्ली राधाकृष्णन् द्वारा उपरोक्त विषयों के संदर्भ में 25 अगस्त 1949 को अपना प्रतिवेदन भारत सरकार को सौंप दिया। इस आयोग द्वारा जो सुझाव और सिफारिशें उच्च शिक्षा के संबंध में दिये गये थे। वे वास्तव में मील का पत्थर सिद्ध हुए।

विश्वविद्यालय शिक्षा के उद्देश्य

आयोग के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य स्वतंत्र भारत में निम्न थे जैसे– नेतृत्व ग्रहण करने वाले व्यक्तियों का निर्माण, विश्वविद्यालय दूरदर्शी, बुद्धिमान और बौद्धिक साहस वाले व्यक्तियों का निर्माण करना चाहिए। क्योंकि विश्वविद्यालय समाज सुधार के कार्य में महान योगदान दे सकते हैं। प्रजातंत्र को सफल बनाने के लिए शिक्षा का प्रसार और ज्ञान की खोज कर सकने वाले तथा राष्ट्रीय विरासत देश की सभ्यता एवं संस्कृति के रक्षक और पोषक अग्रदूतों का निर्माण करना चाहिए। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अतः विश्वविद्यालयों को छात्रों के मानसिक व शारीरिक की ओर सचेत रहना चाहिए और शिक्षा व्यक्ति के जन्मजात गुणों की शक्तियों की खोज कर उनका विकास करना चाहिये। विश्वविद्यालयों को अपने उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहना चाहिये।

आयोग के शब्दों में "हम न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं बन्धुता की प्राप्ति द्वारा प्रजातंत्र की खोज में संलग्न है। अतः हमारे विश्वविद्यालयों को अनिवार्यता इन आदर्शों का प्रतीक एवं संरक्षक होना चाहिए"।

शिक्षक वर्ग

आयोग ने शिक्षकों की दशाओं में सुधार करने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिये जो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

1. शिक्षकों को 'प्रोविडेन्ट फण्ड' की उत्तम सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। इस फण्ड में शिक्षक एवं विश्वविद्यालय दोनों को 8–8 प्रतिशत देना चाहिए।
2. शिक्षकों को किराए के निवास स्थान की व्यवस्था विश्वविद्यालय के समीप हो।
3. शिक्षकों को 55 वर्ष की अपेक्षा 60 वर्ष सेवानिवृति की आयु होनी चाहिए तथा उत्तम स्वास्थ्य वाले अध्यापकों की आयु में वृद्धि कर 64 वर्ष हो।
4. शिक्षकों के अध्ययन के लिए एक बार में एक वर्ष का और सम्पूर्ण कार्यकाल में 3 वर्ष का आधे वेतन पर अवकाश दिया जाए।
5. शिक्षकों को एक सप्ताह में 18 घंटे से अधिक शिक्षण कार्य नहीं किया जाना चाहिए।

शिक्षण के स्तर

आयोग ने कॉलेजों और विश्वविद्यालय के षिक्षण स्तर के उन्नयन हेतु अधोलिखित सिफारिशें की–

1. छात्रों की बढ़ती भीड़ को रोकने के लिए शिक्षण विश्वविद्यालय में 3000 और उनसे सम्बन्धित कॉलेजों में 1500 से अधिक छात्र नहीं होना चाहिए।
2. कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त एक वर्ष में कम से कम 180 दिन शिक्षण कार्य किया जाए।
3. शिक्षकों के व्याख्यान परिश्रम व सावधानीपूर्वक तैयार किया जाए उनके व्याख्यानों की पूर्ति के लिए लिखित कार्य, टयूटोरियल कक्षाओं और पुस्तकालयों में अध्ययन की व्यवस्था हो।
4. अध्ययन के लिए किसी भी कोर्स के लिए पाठ्यपुस्तकें निर्धारित नहीं की जानी चाहिए।
5. स्नातकोत्तर (Post-Graduate) कक्षाओं के विद्यार्थियों को व्याख्यानों में उपस्थित होने के लिए विवश नहीं किया जाना चाहिए।
6. स्नातकोत्तर कक्षाओं में विचार–गोष्ठियों (Seminars) की योजना क्रियान्विति की जानी चाहिए।
7. विभिन्न व्यवसायों में संलग्न व्यक्तियों के लिए सायंकालीन कक्षाएँ (Evening Classes) प्रारम्भ की जानी चाहिए।
8. परीक्षाओं के स्तर को ऊँचा उठाने के लिए प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के लिए न्यूनतम प्राप्तांक क्रमशः 70.55 और 40 प्रतिशत होना चाहिए।

पाठ्यक्रम : Course of Study

"आयोग" के पाठ्यक्रम सम्बन्धी विचार निम्नांकित हैं–

1. स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के लिए अध्ययन की अवधि 3 वर्ष की होनी चाहिए।
2. स्नातकोत्तर उपाधि – स्नातक बनने के 2 वर्ष पश्चात् और "आनर्स कोर्स" के 1 वर्ष पश्चात् दी जानी चाहिए।
3. विशेषीकृत शिक्षा (Specialization) के दोषों का निवारण करने के लिए विश्वविद्यालयों और माध्यमिक स्कूलों में "सामान्य शिक्षा के सिद्धान्त एवं प्रयोग" (Theory & Practice of General Education) का शिक्षण आरम्भ किया जाना चाहिए।
4. शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में सामान्य और विशेषीकृत शिक्षा में समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए।
5. कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में उन्हीं छात्रों को प्रवेश दिया जाना चाहिए, जो कि 12 वर्ष की विद्यालय–शिक्षा समाप्त कर चुके हों

स्नातकोत्तर प्रशिक्षण व अनुसंधान कार्य : Post-Graduate Training & Research Work-

"आयोग" ने विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर–प्रशिक्षण एवं अनुसंधान कार्य के स्तरों को ऊँचा उठाने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए हैं–

1. स्नातकोत्तर कक्षाओं के पाठ्यक्रमों में एक विशेष विषय के उच्च अध्ययन एवं अनुसंधान की विधियों के प्रशिक्षण को ध्यान दिया जाना चाहिए।
2. स्नातकोत्तर कक्षाओं में छात्रों को प्रवेश अखिल–भारतीय स्तर पर दिया जाना चाहिए और छात्रों एवं शिक्षकों में घनिष्ठ व्यक्तिगत सम्बन्ध स्थापित किये जाने चाहिए।
3. पी.एच.डी. के छात्रों का चयन, अखिल–भारतीय स्तर पर किया जाना चाहिए और उनके अनुसंधान कार्य की अवधि दो वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
4. एम.एस.सी. एवं पी.एच.डी. के छात्रों को "शिक्षा–मंत्रालय" द्वारा बड़ी संख्या में छात्रवृत्तियॉ दी जानी चाहिए।
5. लिट् और डी0 एस–सी0 उपाधियॉ केवल उच्च कोटि के मौलिक एवं प्रकाशित कार्यों पर दी जानी चाहिए।

शिक्षा का माध्यम Medium of Instruction

"आयोग" ने सब राज्यों और जातियों की भाषाओं पर विचार करने के बाद शिक्षा के माध्यम के विषय में निम्नांकित विचार व्यक्त किये हैं'–

1. उच्च शिक्षा का माध्यम–अंग्रेजी के बजाय प्रादेशिक भाषाएं होनी चाहिए, पर संघीय भाषा (हिन्दी) को शिक्षा का माध्यम बनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए।

2. संघीय भाषा के लिए केवल देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाना चाहिए और इस लिपि के दोषों को यथाशीघ्र दूर किया जाना चाहिए।
3. उच्चतर माध्यमिक एवं विश्वविद्यालय स्तर पर छात्रों को 3 भाषाओं की शिक्षा दी जानी चाहिए– (1) मातृभाषा अर्थात् प्रादेशिक भाषा (2) हिन्दी अर्थात् संघीय भाषा और (3) अंग्रेजी।
4. संघीय और प्रादेशिक भाषाओं का विकास करने के लिए शीघ्र ही ठोस कदम उठाए जाने चाहिए।
5. विद्यार्थियों को नवीन ज्ञान के सम्पर्क में रखने के लिए हाईस्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में अंग्रेजी की शिक्षा को बनाए रखना चाहिए।

परीक्षाए : Examination

"आयोग" ने विश्वविद्यालयों की परीक्षा–प्रणाली को सबसे अधिक दोषपूर्ण पाया है। अतः "आयोग" ने यह विचार प्रकट किया है "हमें इस बात का विश्वास है कि यदि हमसे विश्वविद्यालय–शिक्षा में केवल एक बात के बारे में सुझाव देने के लिए कहा जाये, तो वह सुझाव–परीक्षाओं के सम्बन्ध में होगा।" इन परीक्षाओं को दोष–मुक्त करने के लिए 'आयोग' ने निम्नलिखित सिफारिशें की हैं–

1. छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन करने लिए यथाशीघ्र "वस्तुनिष्ठ प्रगति–परीक्षाओं" का कुलक (Set of Objective Progressive Tests) तैयार किया जाना चाहिए।
2. त्रिवर्षीय डिग्री कोर्स की परीक्षा 3 वर्ष पश्चात् न ली जाकर प्रत्येक वर्ष के अन्त में ली जानी चाहिए। यह परीक्षा– "स्वतः पूर्ण इकाइयों" (Self-Contained Units) में ली जानी चाहिए और छात्रों के लिए प्रत्येक इकाई अर्थात प्रति वर्ष की परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होना चाहिए।
3. परीक्षाओं के स्तर का उन्नयन करने लिए प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के न्यूनतम प्राप्तांक क्रमशः 70.55 एवं 40 प्रतिशत होने चाहिए।
4. सब विश्वविद्यालयों की सब परीक्षाओं में कृपांक (Grace Marks) देने की पद्धति समाप्त कर दी जानी चाहिए।
5. प्रत्येक विश्वविद्यालय में कम से कम 5 वर्ष के शिक्षण का अनुभव रखने वाले 3 सदस्यों का एक पूर्णकालीन बोर्ड संगठित किया जाना चाहिए। इस बोर्ड के निम्नांकित 3 मुख्य कार्य होने चाहिए–

1. विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध कॉलेजों के शिक्षकों को वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं की नवीन योजनाएँ बनाने में सहायता देना।
2. उक्त शिक्षकों को पाठ्यक्रम में संशोधन करने के लिए सामग्री की व्यवस्था करना।
3. सम्बद्ध कॉलजों के छात्रों की प्रगति का समय–समय पर "प्रगति–परीक्षाओं" द्वारा मूल्यांकन करना।

धार्मिक शिक्षा : Religious Education

"आयोग" ने अपने प्रतिवेदन में यह मत अंकित किया है कि यद्यपि भारत–धर्म निरपेक्ष राज्य है, तथापि इसका अभिप्राय यह नहीं है कि शिक्षा–संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। इसका अभिप्राय–धार्मिक कट्टरता और संकीर्णता का निषेध करना है, न कि व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता का। अपने इन विचारों के आधार पर "आयोग" ने धार्मिक शिक्षा के विषय में अनेक व्यावहारिक सुझाव दिए हैं: यथा–

1. सब शिक्षा–संस्थाओं को अपना दैनिक कार्य कुछ मिनट के मौन चिन्तन के पश्चात् आरम्भ करना चाहिए।
2. डिग्री कोर्स के प्रथम वर्ष में विश्व के सुप्रसिद्ध धार्मिक नेताओं की जीवनियाँ पढ़ाई जानी चाहिए यथा–बुद्ध, ईसा, गाँधी, शंकर, कबीर, नानक, माधव, सुकरात, रामानुज, मुहम्मद एवं कन्फयूसियंस।
3. डिग्री कोर्स के द्वितीय वर्ष में विश्व के प्रसिद्ध धार्मिक ग्रन्थों में से सार्वभौमिक महत्व के कुछ चुने हुए भाग पढ़ाए जाने चाहिए।
4. डिग्री कोर्स के तृतीय वर्ष में धर्म–दर्शन (Philosphy of Religion) की मुख्य समस्याएँ पढ़ाई जानी चाहिए।

व्यावसायिक शिक्षा : Professional Education

"आयोग" ने व्यावसायिक शिक्षा के महत्व को स्वीकार किया है और उसके विभिन्न अंगों के सम्बन्ध में अपनी सिफारिशों को लिखित रूप प्रदान किया है: यथा–

कृषि : Agriculture

1. प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा में कृषि की शिक्षा को सर्वप्रथम स्थान दिया जाना चाहिए।
2. छात्रों को कृषि का प्रत्यक्ष और व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करने लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि–शिक्षा की संस्थाओं की स्थापना की जानी चाहिए।
3. कृषि के वर्तमान कॉलेजों को उदारतापूर्वक आर्थिक सहायता देकर, अधिक साधन–सम्पन्न बनाया जाना चाहिए।
4. कृषि के नवीन कॉलेजों को यथासंभव नवीन ग्रामीण विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध किया जाना चाहिए।
5. कृषि–अनुसंधान कार्य के लिए केन्द्रीय एवं राज्य–सरकारों द्वारा "प्रयोगात्मक फार्म" (Experimental Farms) खोले जाने चाहिए।

वाणिज्य : Commerce

1. बी0 कॉम0 की शिक्षा प्राप्त करते समय, छात्रों को 3 या 4 प्रकार की विभिन्न व्यावसायिक फर्मों में व्यावहारिक कार्य करने का अवसर दिया जाना चाहिए।
2. बी0 कॉम0 परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को किसी विशेष शाखा में विशेषज्ञ बनने का परामर्श दिया जाना चाहिए।
3. एम0 कॉम0 में केवल विशेष योग्यता रखने वाले छात्रों को अध्ययन करने की अनुमति दी जानी चाहिए। इस परीक्षा में पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा व्यावहारिक ज्ञान पर अधिक बल दिया जाना चाहिए।

शिक्षण : Teaching

1. प्रशिक्षण–कॉलेजों के पाठ्यक्रम में संशोधन एवं सुधार किया जाना चाहिए और पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा अध्यापन के अभ्यास पर अधिक बल दिया जाना चाहिए।
2. छात्राध्यापकों के वार्षिक कार्य का मूल्यांकन करने के समय, उनकी शिक्षण–योग्यता को विशेष महत्व दिया जाना चाहिए।
3. प्रशिक्षण–कॉलेजों में अधिकांश अध्यापक वहीं होने चाहिए जो स्कूलों में पढ़ाने का पर्याप्त अनुभव प्राप्त कर चुके हो।

4. शिक्षा–सिद्धान्त के पाठ्यक्रम को लचीला एवं स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल बनाया जाना चाहिए।
5. एम.एड. की डिग्री के लिए केवल उन्हीं व्यक्तियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जो कुछ वर्षों का शिक्षण–अनुभव प्राप्त कर चुके हो।

इंजीनियरिंग व टेक्नोलॉजी : Engineering & Technology

1. वर्तमान इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी की संस्थाओं को देश की राष्ट्रीय सम्पत्ति समझा जाना चाहिए और उनकी उपयोगिता में वृद्धि की जानी चाहिए।
2. फोरमैन ड्राफ्टमैन और ओवरसियरों को शिक्षा देने वाले इंजीनियरिंग स्कूलों की संख्या में वृद्धि करने लिए कदम उठाए जाने चाहिए।
3. देश की विभिन्न आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए इंजीनियरिंग की विभिन्न शाखाओं में विभिन्न प्रकार की संस्थाओं का शिलान्यास किया जाना चाहिए।
4. इंजीनियरिंग के स्कूलों एवं कॉलेजों में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों को कारखानों में कार्य करने, व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करने का पूर्ण अवसर दिया जाना चाहिए।
5. उच्च व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए टेक्नोलॉजिकल संस्थाओं (Technological Institutes) की शीघ्र–से–शीघ्र सृष्टि की जानी चाहिए।

अर्द्धकानून : Law

कानून का अध्ययन करने की आज्ञा केवल उन्हीं छात्रों को दी जानी चाहिए, जो 3 वर्ष के "पूर्व–कानूनी एवं सामान्य डिग्री कोर्स" (Pre-Legal & General Degree Course) को पास कर चुके हो।

1. कानून के विशेष विषयों के पाठ्यक्रम की अवधि 3 वर्ष की होनी चाहिए।
2. कानून के विद्यार्थियों को अपने अध्ययन–काल में अन्य डिग्री कोर्स लेने की अनुमति केवल विशेष परिस्थितियों में प्रदान की जानी चाहिए।
3. कानून के अध्यापकों में "पूर्णकालीन" और "अल्पकालीन" दोनों प्रकार के अध्यापक नियुक्त किए जाने चाहिए।
4. प्रत्येक स्थान को कानून की कक्षाओं से कानून–संबंधी अनुसंधान की व्यवस्था होनी चाहिए।

चिकित्सा : Medicine

1. किसी भी मेडिकल कॉलेज में 100 से अधिक छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिए।
2. प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में योग्य अध्यापक और प्रचुर शिक्षण–सामग्री होनी चाहिए।
3. मेडिकल कॉलेज में अध्ययन करने वाले प्रत्येक छात्र के लिए 10 रोगी होने चाहिए।
4. स्नातक–पूर्व और स्नातकोत्तर कक्षाओं के विद्यार्थियों को ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
5. देशी चिकित्सा–पद्धतियों में अनुसंधान कार्य के लिए सुविधाएँ प्रदान की जानी चाहिए।

छात्र–क्रियाएँ व कल्याण : Student's Activities & Welfare

"आयोग" का कथन है– "छात्र का निर्माण–विश्वविद्यालय के लिए नहीं, वरन् विश्वविद्यालय का निर्माण–छात्र के लिए होता है। अतः विश्वविद्यालय के प्रत्येक सम्भव प्रयास एवं उपाय के छात्रों की शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक शक्तियों का पूर्णतम और अधिकतम विकास करना चाहिए।" अपनी इस धारणा के अनुसार "आयोग" ने छात्रों की क्रियाओं और कल्याण के लिए अधोलिखित सुझाव उपस्थित किए–

1. प्रवेश के समय और उसके पश्चात् कम–से–कम एक बार प्रत्येक छात्र एवं छात्रा की निःशुल्क स्वास्थ्य–परीक्षा की जानी चाहिए।
2. प्रत्येक विश्वविद्यालय में छात्रों की चिकित्सा के लिए एक चिकित्सालय होना चाहिए।
3. छात्रों को मध्यान्ह के समय उचित मूल्य पर पौष्टिक आहार दिया जाना चाहिए।
4. प्रत्येक विश्वविद्यालय और प्रत्येक सम्बद्ध कॉलेज में छात्रों के स्वास्थ्य में उन्नति करने के लिए एक "स्वास्थ्य–शिक्षा–निदेशक" (Director of Physical Education) की नियुक्ति की जानी चाहिए।
5. छात्रों को स्वस्थ रखने के लए जेमनेशियमों, व्यायाम शालाओं, खेल के मैदानों आदि की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए।
6. सब छात्रों एवं छात्राओं के लिए दो वर्ष की शारीरिक शिक्षा अनिवार्य की जानी चाहिए।
7. सब कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में एन.सी.सी. की व्यवस्था होनी चाहिए और छात्रों को उसका सदस्य बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
8. सब कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में उत्तम प्रकार के छात्रावासों की व्यवस्था होनी चाहिए जिनमें शाकाहारी एवं अशाकाहारी–दोनों प्रकार के भोजन का प्रबन्ध होना चाहिए।
9. छात्र–संघों (Student's Unions) को छात्रों की सामूहिक क्रियाओं का प्रमुख केन्द्र होना चाहिए। इन संघों का संचालन, छात्रों के द्वारा एवं छात्रों के लिए किया जाना चाहिए। कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों के अधिकारियों को उनके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।
10. छात्रों की प्रशासन में रूचि उत्पन्न करने के लिए "प्रॉक्टोरियल–प्रणाली" (Proctorial System) का प्रचलन किया जाना चाहिए।

ग्रामीण विश्वविद्यालय : Rural Universities

"आयोग" का कथन है कि बड़े नगरों में स्थित होने के कारण भारत के विश्वविद्यालयों को यहॉ के ग्रामों से कोई सरोकार नहीं है। क्योंकि भारत ग्रामों का देश है, इसलिए यह परम आवश्यक है कि ग्रामीण भारत की सामान्य उन्नति और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ग्रामीण कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की पद्धति को अविलम्ब आरम्भ किया जाये। अपने इस विचार से अनुप्राणित होकर, "आयोग" ने ग्राम–निवासियों की शिक्षा के विषय में अग्रांकित सुझाव दिये हैं–

1. ग्रामों में छोटे शवासिक (Residential) स्नातक–पूर्व कॉलेजों की स्थापना की जानी चाहिए। इन कॉलेजों के केन्द्र में एक ग्रामीण विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाना चाहिए।
2. एक कॉलेज के छात्रों की संख्या लगभग 300 और विश्वविद्यालय एवं उसमें सम्बद्ध सब कॉलेजों के छात्रों की संख्या 2,500 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
3. सब कॉलेजों के लिए पृथक अध्यापक होने चाहिए किन्तु एक विश्वविद्यालय से सम्बद्ध अधिक–से अधिक कॉलेजों

के लिए पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं, चिकित्सालयों, खेल के मैदानों आदि की व्यवस्था एक ही स्थान पर होनी चाहिए।

4. ग्रामीण कॉलेजों का प्रमुख उददेश्य–विद्यार्थियों को सामान्य शिक्षा देना और उनकी व्यक्तिगत रूचियों एवं मनोवृतियों का अधिकतम विकास करना होना चाहिए।
5. ग्रामीण कॉलेजों में स्नातक–पूर्व शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय या व्यावसायिक स्कूल में किसी विशेष विषय का अध्ययन करने की सुविधा होनी चाहिए।
6. स्नातक–पूर्व और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में इस प्रकार विभाजन किया जाना चाहिए कि जो छात्र, स्नातक–पूर्व शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं वे कुछ विषयों में स्नातकोत्तर शिक्षा भी ग्रहण कर सकें।

मूल्यांकन

विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग द्वारा विश्वविद्यालय शिक्षा से सम्बन्धित सभी महत्वपूर्ण अंगों पर अपने विचार प्रकट किये जो कि उच्च शिक्षा में अत्यंत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हुए हैं। भारत के लगभग सभी श्रेष्ठ शिक्षा मर्मज्ञों ने इन सुझावों में विश्वविद्यालय शिक्षा के नवीन स्वरूप का संदेष पढ़ा है। ग्रामों में उच्च शिक्षा की आवश्यकता और जनता और सरकार का ध्यान सर्वप्रथम आकर्षित करने का श्रेय इसी कमीशन को प्राप्त है। इसी आयोग के फलस्वरूप भारत सरकार ने 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और 1954 में ग्रामीण उच्चतर शिक्षा समिति का निर्माण करके ग्रामीण शिक्षा का उत्तरदायित्व इसे सौंप दिया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षा व अनुसंधान से संबंधित भारत में महत्वपूर्ण संस्थान है। जो वर्तमान में भी अपने पूर्ण गौरव के साथ कार्यरत है।

इस आयोग के परिणामस्वरूप स्त्री शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा पर विशेष रूप से सकारात्मक योजनाआं के क्रियान्वति कर विशेष माप से इसकी ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया गया। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में कृषि की उपयोगिता को समझते हुए कृषि की शिक्षा को सर्वप्रथम स्थान दिया गया जो अत्यंत ही सराहनीय है। शोध के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व योगदान इस आयोग द्वारा प्राप्त हुआ। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अपितु प्रशंसनीय योगदान दिया परन्तु क्योंकि यह परिवर्तन व सुझाव तत्कालीन समय के अनुकूल थे। वर्तमान में नवीन ज्ञान विज्ञान और आवश्यकताओं के अनसार इसमें और अत्यधिक वर्तमान काल के अनुसार परिवर्तन करने की आवश्यकता महसूस होती है। आज एक फिर एक उच्च शिक्षा में विद्यमान दोषों के निवारणार्थ नये आयोग के गठन की आवश्यकता है। जब हम उच्च शिक्षा की चर्चा करते हैं तो डॉ0 सर्वपल्ली राधाकृष्णन् का नाम अविस्मरणीय है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. पाठक पी.डी., भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ।
2. गुप्ता आशा, उच्चतर शिक्षा के बदलते आयाम।
3. हंसराज, उच्च शिक्षा में अध्यापन एवं प्रशिक्षण की प्रविधियॉ।
4. यादव, आधुनिक भारतीय समाज की शिक्षा।